



सब पढ़ें सब बढ़ें
राज्य परियोजना कार्यालय,

30प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

सेवा में,

प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
समस्त जनपद
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: सा0प0नि0/3630/2011-12

दिनांक: 19 अक्टूबर, 2011

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों में बच्चों का अधिगम स्तर सुनिश्चित करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि बच्चों का पठन-पठन रुचिपूर्ण वातावरण में हो। इस संदर्भ में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्य-योजना 2011-12 के परिप्रेक्ष्य में अलग-अलग समय पर विस्तृत निर्देश जारी किए जाते रहे हैं और इस संबंध में कई बिन्दुओं पर मेरे द्वारा दिनांक: 19.10.2011 को आयोजित प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की बैठक में चर्चा भी की गई थी। फिर भी निम्नलिखित बिन्दुओं पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा :-

- स्नातक योग्यताधारी शिक्षामित्रों का दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से दो-वर्षीय प्रशिक्षण ब्लॉक स्टडी सेन्टर्स पर आयोजित हो रहा है। प्रथम बैच में लगभग 62000 शिक्षामित्रों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाना था जिसके सापेक्ष 71 जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार करीब 59000 शिक्षामित्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। जनपद बस्ती से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षामित्रों की सूचना प्राप्त नहीं हुयी है। जनपदों द्वारा यह देखा जाना आवश्यक है कि प्रथम बैच के निर्धारित लक्ष्य 62000 के सापेक्ष प्रगति कम क्यों है?
- शिक्षकों के सेवारत प्रशिक्षण हेतु मॉड्यूल 'संवाद' विकसित किया गया तथा इसको मुद्रित कराकर शिक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे।
 - जनपद संत कबीर नगर में ब्लॉक स्तर के मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण प्रारम्भ नहीं किया गया है।
 - 11 जनपदों हाथरस प्रतापगढ़, इटावा, गोरखपुर, देवरिया, झाँसी, अम्बेडकर नगर, बदायूँ, मुरादाबाद, रामपुर तथा लखीमपुर खीरी में मॉड्यूल का मुद्रण अभी तक नहीं हुआ है। जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है।
 - जनपद मिर्जापुर में डॉयट द्वारा मॉड्यूल का मुद्रण नहीं किया गया है और न ही विकासखण्डों को धनराशि आवंटित की गयी है।
 - उपर्युक्त के अतिरिक्त 24 जनपदों एटा, मथुरा, मेनपुरी, आजमगढ़ मऊ, कन्नौज, कानपुर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, महोबा, गोण्डा, फैजाबाद, छत्रपति शाहूजी महाराज नगर, बस्ती, संतकबीर नगर, बिजनौर, बागपत, बुलन्दशहर, मेरठ, जौनपुर, वाराणसी, मदीही, सोनमद तथा मुजफ्फर नगर में भी ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों का प्रशिक्षण प्रारम्भ नहीं किया गया है।
 - उपर्युक्त सभी जनपदों के प्राचार्य, डॉयट से अपेक्षा है कि ब्लॉक स्तर पर अध्यापकों का सेवारत प्रशिक्षण शीघ्र प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।
- आउट ऑफ स्कूल बच्चों की शिक्षा हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश सभी जनपदों को दिये गये हैं। सम्प्रति प्राथमिक स्तर (कक्षा 1-5) का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जाना है। उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6-8) के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा शिक्षण सामग्री तैयार की जा रही है और इस सम्बन्ध में निर्देश बाद में भेजे जायेंगे।

प्राथमिक स्तर के विशेष प्रशिक्षण हेतु राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद में मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण चल रहा है जो 25.10.2011 तक पूर्ण हो जायेगा। मास्टर ट्रेनर द्वारा जनपद स्तर पर विशेष प्रशिक्षण

कार्यक्रम में लगाये गये अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस हेतु प्रति प्रतिभागी रु० 400/- की दर से धनराशि जनपदों को भेजी जा चुकी है। प्राचार्य, डायट से यह अपेक्षा है कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यदि संभव हो तो प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित कराया जाये। यदि डायट स्तर पर प्रशिक्षण संभव न हो तो प्रशिक्षण वी०आर०सी० पर आयोजित कराया जाये किन्तु डायट द्वारा प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण किया जाये।

- विकासखण्ड संसाधन केन्द्रों का पुनर्गठन किया गया था जिसके अन्तर्गत प्रत्येक विकासखण्ड संसाधन केन्द्र/नगर संसाधन केन्द्र में 5-5 सह-समन्वयकों के चयन के आदेश जारी किये गये थे। जनपदों द्वारा 4400 पदों के सापेक्ष 3582 पदों पर चयन तथा पदस्थापन कर लिया गया है। अवशेष 818 रिक्तियों में से अधिकांश रिक्तियाँ जनपद औरैया, आजमगढ़, बागपत, बहराईच, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बुलन्दशहर, गौतमबुद्ध नगर, गाजीपुर, गोण्डा, गोरखपुर, हरदोई, झाँसी, कानपुर नगर, काशीराम नगर, कौशांबी, कुशीनगर, खीरी, महाराजगंज, मेरठ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, सहारनपुर, सोनभद्र तथा वाराणसी में है। यह भी उल्लेखनीय है कि जनपद प्रतापगढ़ में सह-समन्वयकों के समस्त 90 पद रिक्त हैं।

जनपदों द्वारा यह कठिनाई बताई गयी थी कि 8 वर्ष का अनुभव अनिवार्य होने के कारण वांछित संख्या में अध्यापक उपलब्ध नहीं हो रहे थे। इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी हो गया है जिसके द्वारा न्यूनतम अनुभव 8 वर्ष के स्थान पर न्यूनतम 5 वर्ष कर दिया गया है। सम्बन्धित सभी जनपद सह-समन्वयकों के अवशेष पदों पर चयन की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें।

- राज्य परियोजना कार्यालय के पत्र दिनांक 12 जून 2009 द्वारा जिला संदर्भ समूह गठित किये गये थे। इन जिला संदर्भ समूहों को क्रियाशील तथा सक्रिय बनाने की आवश्यकता है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता से सम्बन्धित कार्यक्रमों में इनका योगदान लिया जा सके।
- राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा शोध, मूल्यांकन, अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण (REMS) मद के अन्तर्गत सभी संस्थानों को रु० 300/- प्रति विद्यालय की दर से धनराशि माह सितम्बर में भेजी जा चुकी है तथा विस्तृत निर्देश भी भेजे गये हैं। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011-12 में 20 जनपद- अलीगढ़, कानपुर नगर, मेरठ, लखनऊ, खीरी, इलाहाबाद, वाराणसी, मऊ, महाराजगंज, ललितपुर, गोण्डा, गाजियाबाद, सोनभद्र, रामपुर, बरेली, सुल्तानपुर, आगरा, कानपुर देहात, सहारनपुर एवं बिजनौर में शोध कार्य हेतु धनराशि जारी की गयी है।

प्राचार्य, डायट को यह निर्देश दिये गये थे कि विज्ञापन प्रकाशित कर शोध हेतु प्रस्ताव आमंत्रित कर लिये जायें। अतः सभी प्राचार्यों से अपेक्षा है कि शोध हेतु उपयुक्त विषय का चयन कर लें तथा Terms of Reference तैयार करके हुए शोध हेतु संस्थाओं से प्रस्ताव शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त कर लिये जायें तथा प्राथमिकता के आधार पर योग्य संस्था को शोध कार्य स्वीकृत किया जाये।

राज्य परियोजना कार्यालय से जारी किए गए सभी दिशा-निर्देश राज्य परियोजना कार्यालय की वेब साइट www.uptea.com पर उपलब्ध हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपने नेतृत्व में विद्यालयों के अकादमिक अनुसमर्थन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएँ ताकि विद्यालयों में पठन-पाठन का माहौल बने और उन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर में सुधार हो।

भवदीय,

(पार्थ सारथी-सेन शर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ०सं०: रा०प०नि०/3630/2011-12 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि: निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

भवदीय,

(पार्थ सारथी-सेन शर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक